

***भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए/ *राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 29ए/ *फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3/ *बंधक गारंटी कंपनी के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का कारोबार *शुरू करने/ संचालित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र**
(आवेदक कंपनी के पत्रशीर्ष पर कंपनी का नाम, पता, टेलीफोन और ईमेल आईडी के साथ)

(टिक करें ✓ जो भी लागू हो)

NBFC-ICC ☐ NBFC-P2P ☐ NBFC-AA ☐ NBFC-MFI ☐ NBFC-FACTOR ☐

NBFC-HFC ☐ IDF-NBFC ☐ NBFC- IFC ☐ MGC ☐ Type I NBFC ☐ NOFHC ☐

सेवा में

मुख्य महाप्रबंधक

पंजीकरण और लाइसेंसिंग अनुभाग

विनियमन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय

2 मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट

मुंबई-400001

महोदया / महोदय,

एनबीएफसी-एनडी का कारोबार *शुरू करने/ संचालित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र

1. हम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का कारोबार शुरू करने के इच्छुक हैं। अतः, हम *भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए की उप-धारा (2)/ *राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 29ए की उप-धारा (2)/ *फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3/ *बंधक गारंटी कंपनी के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने हेतु यह आवेदन करते हैं, ताकि हमारी कंपनी *एनबीएफसी का कारोबार *शुरू कर/ संचालित कर सकें। अपेक्षित जानकारी निर्धारित प्रारूप (अनुबंध I से अनुबंध VI) में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की गई है।

2. हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में तथा इसके संलग्न अनुबंध और संलग्न विवरणियों में प्रदत्त जानकारी सही, पूर्ण और सत्य है। हमें ज्ञात है कि यदि यहां प्रस्तुत कोई भी जानकारी गलत/अधूरी/असत्य पाई जाती है, तो सीओआर प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और यदि सीओआर प्रदान किया जाता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है।

3. इस आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता को निदेशक मंडल द्वारा इस आवेदन को प्रस्तुत करने, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने तथा आवेदन के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। इस आवेदन में उल्लिखित कंपनी के ईमेल आईडी से प्राप्त कोई भी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत मानी जाएगी।

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

भवदीय/भवदीया,

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

तारीख:

स्थान:

कंपनी की मुहर:

नोट: कृपया आवेदन के सभी पृष्ठों पर अपने आद्यक्षर करें और कंपनी की मुहर लगाएँ।

कंपनी के बारे में जानकारी

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
भाग ए – मूलभूत जानकारी		
1	कंपनी का नाम	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	
3	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
4	वैध इकाई अभिज्ञापक (एलईआई)	
5	निगमन की तारीख	
6	पूरा पंजीकृत पता (फोन नंबर और ईमेल सहित)	
7	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता (यदि उपर्युक्त 6 में उल्लिखित पते से भिन्न हो)	
8	कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) जिसके साथ कंपनी पंजीकृत है	शहर: राज्य:
9	यदि कंपनी ने पहले अपना नाम बदला है, तो कंपनी के पूर्व नाम/नामों, परिवर्तन की तारीख/तारीखों और परिवर्तन के कारणों सहित विवरण प्रदान करें।	
10	यदि कंपनी का गठन अन्य कंपनियों के अधिग्रहण/ साथ विलय से हुआ है, तो अधिग्रहण/ विलय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें।	
11	यदि कंपनी किसी अन्य वित्तीय विनियामक के पास पंजीकृत है, तो विनियामक का नाम, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करें।	
12	क्या संगम ज्ञापन (एमओए) कंपनी को प्रस्तावित कारोबार करने की अनुमति देता है?	हाँ/नहीं
भाग बी – स्वामित्व का विवरण		
13	यदि कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है, तो कुल राशि और प्राप्ति का तरीका (अनुमोदन या स्वचालित मार्ग) इंगित करें। संबंधित विवरण के साथ प्रमाणपत्रों (जैसे एफआईआरसी, एफसी-जीपीआर आदि) की प्रतियां प्रस्तुत करें।	
14	क्या कंपनी को ऐसे अधिकारक्षेत्रों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा अनुपालन नहीं करने वाला घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। (नोट: एफएटीएफ का अनुपालन नहीं करने वाले क्षेत्राधिकारों की सूची निम्नलिखित शीर्षों के तहत https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions पर उपलब्ध है i. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action, and ii. Jurisdictions under Increased Monitoring. ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसका नाम उपर्युक्त दो सूचियों में नहीं है, उसे एफएटीएफ का अनुपालन करने वाला क्षेत्राधिकार कहा जाएगा।	
15	कंपनी के प्रवर्तक का नाम/के नाम, यदि कोई हो।	
16	 (तारीख निर्दिष्ट करें) को शेयरधारिता पेटर्न	

	शेयरधारक का नाम	व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत	क्या शेयरधारक भी कंपनी का प्रवर्तक है? (हां/ नहीं)	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत ¹	
	साथ ही अनुबंध II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रवर्तकों/प्रमुख शेयरधारकों का विवरण भी प्रस्तुत करें।					
17	गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, आवेदक के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामियों ² (एसबीओ) की पहचान करने वाली होल्डिंग टी संरचना प्रस्तुत करें। यदि होल्डिंग संरचना में कोई इकाई वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित/ पर्यवेक्षित है या स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही, अनुबंध V में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार 'समूह की सभी कंपनियों' ³ का विवरण प्रदान करें, जिसमें होल्डिंग संरचना में शामिल कंपनियाँ (जैसा कि ऊपर 16 में उल्लेखित है) भी शामिल हों।					
भाग सी – कंपनी और समूह की कंपनियों की गतिविधियाँ						
18	कंपनी की स्थापना के बाद से उसकी गतिविधियों और एनबीएफसी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के कारणों का संक्षिप्त पृष्ठभूमि विवरण प्रदान करें।					
19	क्या कंपनी सीओआर के बिना एनबीएफआई गतिविधियाँ कर रही है? यदि हाँ, तो उसके कारण का उल्लेख करें।					
20	क्या कंपनी या समूह की किसी अन्य कंपनी या वह कंपनी जिससे प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/निदेशक/एसबीओ संबन्धित थे/हैं, ने पहले सीओआर के लिए आरबीआई/एनएचबी से संपर्क किया था? यदि हाँ, तो परिणाम सहित विवरण प्रदान करें।					
21	यदि समूह की कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी, जिनसे प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/निदेशक/एसबीओ संबन्धित थे/हैं, एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है/थी, तो उस/उन एनबीएफसी का नाम/के नाम, सीओआर संख्या, तारीख और आरबीआई के उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जहां वह पंजीकृत है/थी, प्रदान करें। समूह में मौजूदा एनबीएफसी होने पर, एक और एनबीएफसी आवेदन के औचित्य का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।					
22	क्या कंपनी या समूह की किसी भी कंपनी ने अतीत में कभी जमा राशि स्वीकार किए हैं? यदि हाँ, तो उल्लेख करें कि कानून के किन प्रावधानों के तहत इसे स्वीकार किया गया है, साथ ही इस आवेदन की तारीख तक बकाया जमा राशि और अवधि का भी उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त, यदि जमा राशि की चुकौती में कोई चूक हुई हो तो उसका विवरण प्रदान करें।					
23	यदि किसी अन्य विनियामक संस्था ने कंपनी या समूह की किसी कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की है, तो उन अवक्षेप, दंड, न्यायानिर्णयन, जांच आदि का पूरा विवरण तथा ऐसी कार्रवाई के कारण भी प्रदान करें।					
24	कंपनी, उसके निदेशकों, प्रवर्तकों, प्रमुख शेयरधारकों, एसबीओ या समूह की कंपनियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही सहित सभी लंबित/बंद सिविल या आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करें।					

¹ संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के मामले में पूरी तरह से अवमिश्रित आधार पर शेयरधारिता प्रतिशत प्रदान किया जा सकता है।

² जैसा कि 13 जून 2018 की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा जारी महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी नियमावली 2018 में परिभाषित है।

³ जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश 2025 में परिभाषित है।

25	क्या आवेदक कंपनी या समूह की कोई कंपनी या कोई कंपनी जिसके साथ प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/निदेशक/एसबीओ संबंधित थे/हैं, बहु-स्तरीय विपणन गतिविधि में लगी हुई है/थी? विवरण प्रदान करें, यदि कोई हो।	
26	क्या कोई प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/निदेशक/एसबीओ किसी ऐसी अनिगमित निकाय (यूआईबी) से संबद्ध है/था जिसने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार किया है? विवरण प्रदान करें, यदि कोई हो।	
27	क्या कोई प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/निदेशक/एसबीओ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी धन उधार देने वाली/वित्तीय सेवा फर्म से संबंधित है/था? विवरण प्रदान करें, यदि कोई हो।	
भाग डी - विविध		
28	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) का नाम/के नाम, पता/पते, टेलीफोन नंबर, ईमेल और आईसीएआई पंजीकरण संख्या।	
29	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____, (आवेदक कंपनी का नाम) की ओर से पुष्टि करता/करती हूँ कि कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, इंटरनेट के माध्यम से डेटा/रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ टिक करें)	
30	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____, (आवेदक कंपनी का नाम) की ओर से पुष्टि करता/करती हूँ कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका आवेदन पर असर पड़ सकता है, छिपाई नहीं गई है और हम अवगत है कि यदि ऐसी किसी जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है तो सीओआर प्रदान करने का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा यदि सीओआर प्रदान कर दिया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ टिक करें)	
31	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____, (आवेदक कंपनी का नाम) की ओर से पुष्टि करता/करती हूँ कि कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा परिपत्रों/निदेशों का अनुपालन करेगी। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ टिक करें)	
32	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____, (आवेदक कंपनी का नाम) की ओर से पुष्टि करता/करती हूँ कि यहाँ प्रस्तुत की गई जानकारी और विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं आगे स्वीकार करता/करती हूँ कि किसी भी व्यक्तिगत डेटा को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ टिक करें)	
33	प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण: हस्ताक्षर: नाम: पदनाम:	तारीख: स्थान: कंपनी की मुहर:

सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) का प्रमाणपत्र

हम, (कंपनी का नाम) के सांविधिक लेखापरीक्षक), प्रमाणित करते हैं कि:

ए) कंपनी ने स्थापना के बाद से एनबीएफआई गतिविधियाँ नहीं की हैं और वर्तमान में कोई भी एनबीएफआई गतिविधि नहीं कर रही है।

(नोट: यदि कंपनी एनबीएफआई गतिविधियाँ कर रही है, तो निर्दिष्ट करें कि कंपनी कब से एनबीएफसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा कर रही है)

बी) कंपनी ने आज तक एफडीआई स्वीकार किया है/नहीं किया है (विवरण प्रस्तुत करें, यदि कोई हो)।

(नोट: यदि कंपनी ने एफडीआई स्वीकार की है, तो निर्दिष्ट करें कि क्या वह न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती है या नहीं।

सी) कंपनी को एफटीएफ गैर-अनुपालक न्यायाधिकार क्षेत्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश प्राप्त हुआ है/नहीं हुआ है (विवरण प्रस्तुत करें, यदि कोई हो)।

डी) एनबीएफसी शेयरधारक (यदि कोई हो) ने आवेदक कंपनी में निवेश के बाद न्यूनतम एनओएफ मानदंड को पूरा किया है।

ई) समूह के अनिगमित निकायों (यूआईबी) ने अतीत में कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया है/ आज की तारीख में कोई सार्वजनिक जमा राशि नहीं रखा है।

एफ) पर्याप्त हित (10% से अधिक) रखने वाले शेयरधारकों की निवल मालियत का सत्यापन हमारे द्वारा किया गया है।

जी) कंपनी ने अतीत में (अवधि निर्दिष्ट करें) कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया है/आज की तारीख में कोई सार्वजनिक जमा नहीं रखा है।

एच) कंपनी ने अतीत में कोई सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं की है/आज की तारीख में कोई सार्वजनिक निधि नहीं रखी है। (केवल टाइप। एनबीएफसी के मामले में लागू)

आई) आज की तारीख में कंपनी के पास कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है। (केवल टाइप। एनबीएफसी के मामले में लागू)

प्रमाणित किया जाता है कि हमने उपर्युक्त प्रदान किए गए आंकड़ों / सूचनाओं की जांच की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार वे सही हैं।

हस्ताक्षर:

सांविधिक लेखा परीक्षक/परीक्षकों का/के नाम:

तारीख:

स्थान:

सामान्य मुहर :

कंपनी की शेयरधारिता का विवरण

1(ए) कंपनी में पर्याप्त हित (10% से अधिक) रखने वाले व्यक्तिगत प्रवर्तक/शेयरधारक का विवरण

व्यक्ति का नाम	लिंग	जन्म तिथि	स्थायी खाता संख्या (पैन)	डीआईएन	राष्ट्रीयता (भारतीय/एनआरआई /पीआईओ/ओसीआई/विदेशी नागरिक)	आवासीय पता	निवल मालियत (₹ करोड़ में)

1(बी) कंपनी में पर्याप्त हित (10% से अधिक) रखने वाले गैर-व्यक्तिगत प्रवर्तक/शेयरधारक का विवरण

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक का नाम	प्रकार: (कंपनी / एलएलपी / न्यास / एआईएफ / पीई फंड / अन्य)	निगमन की तिथि	स्थायी खाता संख्या (पैन)	सीआईएन	निगमन का स्थान (देश)	पंजीकृत पता	वित्तीय सेवा विनियामक / स्टॉक एक्सचेंज का नाम (सूचीबद्ध संस्था के मामले में):	गतिविधि का क्षेत्र	निवल मालियत (₹ करोड़ में)

नोट: गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, कंपनी के एसबीओ का विवरण व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लागू प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक :

स्थान :

कंपनी की मुहर:

----- की स्थिति के अनुसार पूंजी निधियों का विवरण
पूंजी निधि – टियर-I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का नाम	राशि
1	चुकता इकिटी पूंजी	
2	निर्बंध आरक्षित निधियाँ ⁴ - कुल [2(ए) से 2(जी)]	
	ए) सामान्य आरक्षित निधियाँ	
	बी) शेयर प्रीमियम	
	सी) पूंजीगत आरक्षित निधियाँ (अलग खाते में धारित आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष को दर्शाने वाली)	
	डी) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	
	ई) पूंजीगत मोचन आरक्षित निधि	
	एफ) पी एंड एल खाते में जमा शेष	
	जी) अन्य निर्बंध आरक्षित निधियाँ (उल्लेख करें)	
3	कुल (1 से 2)	
4	हानि की संचित शेष राशि	
5	आस्थगित राजस्व व्यय	
6	अन्य अमूर्त आस्तियां	
7	कुल (4 से 6)	
8	स्वाधिकृत निधियाँ (3- 7)	
9	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश ⁵ - कुल [9(ए) से 9(सी)]	
	ए) सहायक कंपनियाँ	
	बी) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	सी) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
10	निम्नलिखित को दिए गई डिबेंचरों ⁶ , बॉन्डों, बकाया ऋणों व अग्रिमों (किराया खरीद वित्त और पट्टा वित्त सहित) तथा उनके पास जमा का बही मूल्य – कुल [10(ए) से 10(बी)]	
	ए) सहायक कंपनियाँ	
	बी) एक ही समूह की कंपनियाँ	
11	कुल (9 से 10)	
12	ऊपर मद 8 के दस प्रतिशत से अधिक मद 11 की राशि	
13	टियर-I पूंजी: निवल स्वाधिकृत निधि (8 - 12)	

⁴निर्बंध आरक्षित निधियों में शेयर प्रीमियम खाते का शेष, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां तथा तुलन-पत्र में दर्शाई गई और लाभों में से आवंटन के माध्यम से सृजित कोई अन्य आरक्षित निधियाँ शामिल होंगी, परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगी: (ए) किसी भावी देयता के पुनर्भुगतान या आस्तियों पर मूल्यहास अथवा अशोध्य कर्ज के लिए बनाई गई आरक्षित निधि, या (बी) कंपनी की आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई आरक्षित निधि।

⁵ शेयरों में निवेश में पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों और/या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तनीय हिस्सों में किया गया निवेश शामिल है। निवेश खाते या विक्रेय माल (स्टॉक-इन-ट्रेड) में धारित निवेश को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

⁶ डिबेंचर, चाहे वे निवेश खाते में धारित हों या विक्रेय माल (स्टॉक-इन-ट्रेड) के रूप में, इस मद के अंतर्गत शामिल किए जाने चाहिए। गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का परिवर्तनीय हिस्सा और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर भी इस मद के अंतर्गत शामिल किए जाने चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में दी गई जानकारी / डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। इन्हें कंपनी की लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों से संकलित किया गया है तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ये सही हैं।

कृते और की ओर से

कंपनी का नाम	
प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
पदनाम	
दिनांक	
स्थान	
कंपनी की मुहर	

लेखापरीक्षक(कों) की रिपोर्ट

हमने लिमिटेड द्वारा पूंजी निधियों, जोखिम संपत्तियों/जोखिम प्रकटीकरण तथा जोखिम संपत्ति अनुपात आदि के संबंध में, दिनांक यथा स्थिति, की लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है, और रिपोर्ट करते हैं कि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किए गए अभिलेखों के आधार पर विवरण (अनुबंध III) में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

हस्ताक्षर:

सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) का नाम :

दिनांक:

स्थान:

सामान्य मुहर :

प्रबंधन संबंधी जानकारी
(प्रत्येक निदेशक के संबंध में अलग फार्म प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
1	नाम	
2	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
3	कंपनी में पदनाम	
4	कंपनी में इकिटी शेयरधारिता (i) शेयरों की संख्या (ii) अंकित मूल्य ₹ (iii) कंपनी की कुल चुकता इकिटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	
5	राष्ट्रियता (भारतीय/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई/विदेशी नागरिक)	
6	एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई/विदेशी नागरिक के मामले में, देश के नाम का उल्लेख करें और पासपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें	
7	लिंग	
8	जन्म तिथि (दिन\माह\वर्ष) आवेदन की तिथि पर आयु (वर्षों में)	
9	व्यावसायिक पता (फोन और ईमेल सहित)	
10	आवासीय पता (फोन और ईमेल सहित)	
11	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
12	शैक्षणिक/ व्यावसायिक अर्हताएँ	
13	प्रासंगिक अनुभव, वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंक/एनबीएफसी) के अनुभव सहित (कंपनी का नाम, धारित पद, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, कार्यभार ग्रहण करने और कार्यमुक्त होने की तिथि आदि का विवरण अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति के साथ प्रदान की जाए।)	
14	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी अयोग्यता के दायरे में आता है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
15	क्या निदेशक द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक है? निदेशक द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या, कंपनियों के नाम सहित, प्रस्तुत करें।	
16	क्या निदेशक कभी ऐसी कंपनी से जुड़ा रहा है जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया हो, या जिन्होंने पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आरबीआई से संपर्क किया हो? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
17	निदेशक के अन्य संस्थाओं (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व/अन्य) के संबंध में विवरण प्रदान करें। [निदेशक का नाम, गतिविधि का क्षेत्र, % हिस्सेदारी और वित्तीय विनियामक का नाम जैसे विवरण दिए जाने चाहिए।]	
18	क्या निदेशक के विरुद्ध उनके पिछले रोजगार के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है / अनुशासनात्मक कार्रवाई गई है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
19	निदेशक या उससे जुड़ी किसी भी संस्था के विरुद्ध लंबित या समाप्त सभी दीवानी या फौजदारी मामलों का विवरण प्रस्तुत करें।	
20	निदेशक, या निदेशक के किसी रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रिश्तेदार), या जिन संस्थाओं से निदेशक जुड़ा है या जुड़ा रहा है, उन्होंने किसी संस्था या बैंक से ली गई क्रेडिट सुविधाओं के मामले में चूक (डिफॉल्ट) की है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	

21	क्या निदेशक कभी बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) में शामिल किसी भी संस्था से जुड़ा रहा है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
22	क्या निदेशक या उससे संबंधित किसी भी कंपनी के विरुद्ध सरकारी विभागों या किसी अन्य सांविधिक एजेंसी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित कोई जांच की गई है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
23	क्या निदेशक को कभी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा या अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
24	क्या निदेशक या उन संस्थाओं के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी की गई है जिनके साथ निदेशक जुड़ा हुआ है/था? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति के साथ विवरण प्रस्तुत करें।	
25	क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है, जिनके साथ निदेशक जुड़ा है या रहा है? यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करें।	
26	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____, (आवेदक कंपनी का नाम) का निदेशक, यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय III सी की धारा 45एस का अनुपालन करता हूँ। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ का निशान लगाएँ)	
27	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (आवेदक कंपनी का नाम) का/की निदेशक, यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरा कभी भी किसी आपराधिक मामले से कोई संबंध नहीं रहा है, जिसमें पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138(1) के अंतर्गत आने वाले अपराध भी सम्मिलित हैं। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ का निशान लगाएँ)	
28	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (आवेदक कंपनी का नाम) का निदेशक, यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं कभी भी किसी ऐसी एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) से नहीं जुड़ा रहा हूँ, जिसे आरबीआई/एनएचबी द्वारा जमाराशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया हो या जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ का निशान लगाएँ)	
29	घोषणा: मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (आवेदक कंपनी का नाम) का निदेशक, यह पुष्टि करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि कोई भी व्यक्तिगत डेटा प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। (यदि अनुपालन किया गया है तो ✓ का निशान लगाएँ)	
30	हस्ताक्षर: नाम: पदनाम: दिनांक: स्थान: कंपनी की मुहर:	

‘समूह’⁷ की कंपनियों की जानकारी / होल्डिंग संरचना की कंपनियों की जानकारी

नाम	निगमन की तिथि	पैन	सी आई एन	गतिविधि का क्षेत्र	वित्तीय सेवा विनियामक ⁸ / स्टॉक एक्सचेंज का नाम (सूचीबद्ध इकाई के मामले में)	शेयरधारिता का पैटर्न (> 10%)	पंजीकृत पता	आस्ति आकार (₹ करोड़ में)	गत तीन वित्तीय वर्षों का कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)		

प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

कंपनी की मुहर:

⁷ भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में परिभाषित ‘समूह की कंपनियाँ’।

⁸ यदि समूह की कोई भी कंपनी किसी वित्तीय सेवा विनियामक के पास पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएँ।

आवेदक की प्रस्तावित व्यावसायिक योजना

1) आवेदक को परिचालन के पहले पाँच वर्षों के लिए नीचे दिए गए प्रारूप में वित्तीय पूर्वानुमान प्रस्तुत करने होंगे:

पूर्वानुमानित तुलन पत्र (₹ करोड़ में)					
विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
शेयर पूंजी					
आरक्षित निधि और अधिशेष					
दीर्घावधि उधार					
अल्पावधि उधार					
अन्य देयताएं					
कुल देयताएं					
अचल आस्तियां					
दीर्घावधि ऋण					
अल्पावधि ऋण					
वर्तमान निवेश					
गैर-चालू निवेश					
नकद और नकद समकक्ष					
अन्य चालू आस्तियां					
कुल आस्तियां					
पूर्वानुमानित लाभ और हानि खाता (₹ करोड़ में)					
परिचालन से राजस्व					
अन्य आय (उल्लेख करें)					
कुल आय					
ब्याज आय					
अन्य परिचालन व्यय					
कर्मचारियों पर लागत					
अन्य व्यय (उल्लेख करें)					
कुल व्यय					
कर पूर्व लाभ					
कर					
उक्त अवधि के लिए लाभ/हानि					
शाखाओं की संख्या					
ऋण खातों की संख्या					

नोट: पी2पी और एए आवेदक अपनी आवश्यकता के अनुसार फ़ॉर्मेट में परिवर्तन कर सकते हैं।

2) आवेदक कंपनी की व्यवसाय योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें, जिसमें निम्न मद्दे सम्मिलित होनी चाहिए:

- एनबीफसी के रूप में कंपनी जो व्यवसाय करना चाहती है
- पूंजी का स्रोत
- लक्ष्य क्षेत्र
- उत्पाद प्रोफ़ाइल
- कार्य का भौगोलिक क्षेत्र
- शिकायत निवारण का प्रणाली

- परिचालन प्रणाली- भौतिक शाखा (फ़िज़िकल ब्रांच) और/या वेब-मोबाइल आधारित एप्लीकेशन, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि ग्राहकों को कैसे जोड़ा जाएगा।

प्राधिकृत पदाधिकारियों का विवरण:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

कंपनी की मुहर:

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/सूचना की सांकेतिक सूची।

क्र संख्या.	एनबीएफसी के रूप में आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आवश्यकताओं और दस्तावेजों को आरबीआई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए	फ़ाइल में पृष्ठ संख्या
1	निगमन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
2	एमओए में प्रस्तावित कारोबार से संबंधित केवल मुख्य उद्देश्य खंड के उद्धरण की प्रमाणित प्रति।	
3	बोर्ड का संकल्प जिसमें कहा गया है कि: ए) कंपनी कोई भी एनबीएफसी गतिविधि नहीं कर रही है/एनबीएफसी गतिविधि को रोका है और आरबीआई से पंजीकरण प्राप्त करने से पहले इसे जारी नहीं रखेगी/शुरू नहीं करेगी। बी) कंपनी ने पूर्व में (अवधि निर्दिष्ट करें)/तारीख को कोई जनता की जमाराशियां स्वीकार नहीं की है और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भविष्य में इसे स्वीकार नहीं करेगी। सी) समूह के यूआईबी ने अतीत में कोई जनता की जमाराशियां स्वीकार नहीं किया है /इस तारीख तक कोई जनता की जमाराशियां नहीं रखते हैं और भविष्य में इसे स्वीकार नहीं करेंगे। डी) कंपनी के पास आज की तारीख में कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है और भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बिना भविष्य में भी कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं होगा। (केवल टाइप। - एनबीएफसी के मामले में लागू) ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने "उचित व्यवहार संहिता" तैयार की है (टाइप। - एनबीएफसी के लिए लागू नहीं)	
4	सावधि जमा रसीद की प्रति और एनओएफ के समर्थन में शेष राशि का संकेत देने वाले बैंकर का धारणाधिकार नहीं होने का प्रमाण पत्र। (केवल नई निगमित कंपनियों के लिए लागू है जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है)	
5	लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाते के साथ-साथ निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अथवा कंपनी के अस्तित्व के पूरी अवधि के लिए, या पिछले तीन वर्षों से, जो भी कम हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	
6	सभी निदेशकों के संबंध में उच्चतम शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति।	
7	सभी निदेशकों के संबंध में वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंकिंग क्षेत्र सहित) में अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, की प्रति।	
8	आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के संबंध में बैंकर की रिपोर्ट। बैंकर की रिपोर्ट इन बैंकरों के साथ जमा इकाई या उधार लेने वाली इकाई के रूप में इन संस्थाओं के लेन-देन के बारे में होनी चाहिए।	
9	आवेदक कंपनी और उसके निदेशकों के संबंध में साख सूचना रिपोर्ट।	
10	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित पर्याप्त ब्याज (10% से अधिक) रखने वाले शेयरधारकों का मालियत प्रमाण-पत्र।	

अनुदेश

(इन अनुदेशों के अनुसार आवेदन पत्र को सही से भरें)

नोट: कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 देखें, जैसा कि तकनीकी शर्तों पर स्पष्टीकरण के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है जो फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे, लोक निधि, निवल स्वाधिकृत निधि, समूह की कंपनियां, आदि।

- (1) आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए। जहां भी स्थान अपर्याप्त है, जानकारी को अलग से शीट में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो।
- (2) आवेदन का कोई भी भाग रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि मांगी गई कोई भी जानकारी अनुपयुक्त है, तो प्रतिक्रिया को 'लागू नहीं' के रूप में इंगित किया जा सकता है। अपूर्ण आवेदनों को सीओआर प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (3) आवेदन पर निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, इसकी ओर से (जैसे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या पूर्णकालिक निदेशक) और कंपनी की सामान्य मुहर होनी चाहिए।
- (4) कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और उसका संस्था के बहिर्नियम (एमओए) उसके प्रस्तावित कारोबार के अनुरूप होना चाहिए।
- (5) आवेदन के अनुबंध III में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में बताए गए आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।
- (6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) सीमा का अनुपालन, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, आवेदन जमा करते समय एक अनिवार्य शर्त है।
- (7) बोर्ड में ऐसे सदस्य होने चाहिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 08 में निर्धारित प्रस्तावित कारोबार से संबंधित सुसंगत शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता और अनुभव के समायोजन को दर्शाते हों।
- (8) संप्रवर्त, शेयरधारकों, एसबीओ, निदेशकों, समूह कंपनियों आदि के संबंध में सभी भौतिक जानकारी (अदालती मामलों, एफआईआर, सरकारी विभागों/सांविधिक एजेंसियों/विनियामकों द्वारा जांच सहित, लेकिन उसी तक सीमित नहीं है), जो आवेदक को सीओआर प्रदान करने के निर्णय पर असर डाल सकती है, का खुलासा पहले ही किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त किसी भी भौतिक जानकारी को भी तुरंत रिज़र्व बैंक को प्रकट किया जाना चाहिए।
- (9) शेयरधारकों का मालियत आवेदक कंपनी में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश के अनुरूप होना चाहिए। यदि शेयरधारकों की मालियत प्रस्तावित पूंजी निवेश के अनुरूप नहीं है, तो पूंजी के स्रोत के बारे में विवरण अनुबंध VI में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।